(122)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

निगरानी 2271-II-15

अभिराम सिंह तनय श्री अनूप सिंह, निवासी–ग्राम रायपुर कर्चु. जिला–रीवा (म.प्र.)

........................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. श्री राम सिंह पिता श्री अनूप सिंह, निवासी ग्राम रायपुर कर्चु., हाल मुकाम ग्राम कोतलकला नगर पालिका, वार्ड नं.–3, सीधी जिला–सींधी (म.प्र.)
2. श्याम सिंह पिता श्री अनूप सिंह, निवासी–ग्राम रायपुर कर्चु. हाल मुकाम ग्राम कोतलकला नगर पालिका, वार्ड नं.–3, सीधी जिला–सीधी (म.प्र.)

...................**गैरपुनरीक्षणकर्ता गण**

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्ग्रत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध मान्नीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला–रीवा द्वारा प्रकरण क्र. 32/बी 121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2015

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता एवं गैर पुनरीक्षणकर्तागण तथा अन्य लोगों के मध्य 2 व्यवहार वाद क्रमशः 5ए/2004 एवं 2ए/2005 मान्नीय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सीधी में लंबित थे जिन पर संयुक्त रूप से निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2005 को पारित किया गया था।

2. यह कि, उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मानृनीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रस्तुत की गई थी जो एफ.ए. नं. 295/2006 के रूप में वर्तमान में लंबित है।

(122)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 2271- दो/15 जिला– रीवा

आभिराम सिंह विरूद्ध राम सिंह व अन्य

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री आयवेन्द्र प्रताप सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 32/बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-6-15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	